

**No. DA-40/2/2025-DA-DOP**

Government of India  
Ministry of Communications  
Department of Posts  
(IR & GB Division)


Dak Bhawan, Sansad Marg  
New Delhi-110001  
Dated: 22.08.2025

**PUBLIC NOTICE**

The Department of Posts informs the public that, due to recent regulatory changes introduced by the U.S. Administration under Executive Order No. 14324 (effective 29th August, 2025), the booking and transmission of all categories of mail items destined for the United States—except *documents/letters* and *gift items up to USD 100 in value*—shall remain **suspended with effect from 25th August, 2025.**

This suspension has become necessary as U.S.-bound carriers have expressed their inability to carry postal shipments in the absence of fully defined mechanisms for duty collection and data exchange, as required by U.S. Customs and Border Protection.

The Department is closely monitoring the situation and is making every effort to restore services at the earliest. In case any item that has already been booked and could not be dispatched, postage refund can be claimed.

  
Himanshu Chaudhary  
ADG (IM)

**Copy to:**

1. GM CEPT to upload the notice on website.
2. DDG (Marketing) for wide publicity.

**सं. डीए-40/2/2025-डीए-डीओपी**

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
डाक विभाग  
(आईआर एवं जीबी प्रभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग  
नई दिल्ली - 110001  
दिनांक : 22.08.2025

**सार्वजनिक सूचना**

डाक विभाग आम जनों को सूचित करता है कि कार्यकारी आदेश सं. 14324 (29 अगस्त, 2025 से प्रभावी) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए नियामक परिवर्तनों के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रेषित की जाने वाली मेल वस्तुओं की सभी श्रेणियों की बुकिंग और पारेषण - मूल्य में 100 यूएस डॉलर तक के दस्तावेजों/ पत्रों और उपहार संबंधी मदों को छोड़कर - **25 अगस्त, 2025 से आस्थगित रहेगी।**

यह आस्थगन अनिवार्य हो गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कैरियरों ने यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा यथाअपेक्षित शुल्क संग्रहण और डाटा एक्सचेंज के लिए पूर्णतः सुनिश्चित तंत्र न होने की वजह से, डाक शिपमेंट को लाने-ले जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

विभाग स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और यथाशीघ्र सेवाएं बहाल करने के हरसंभव प्रयास कर रहा है। किसी डाक-वस्तु के पहले से ही बुक किए जाने की दशा में जिसे प्रेषित नहीं किया जा सका है तो पोस्टेज रिफंड का दावा किया जा सकता है।

-Sd/-  
हिमांशु चौधरी  
सहायक महानिदेशक (आईएम)

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक सीईपीटी - वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करने हेतु
2. उप महानिदेशक (विपणन) - व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु